झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं०–08/ज०सं०(नि०) ग्रा०–08–05/17...................... /राँची, दिनांक :– ....

–: आदेश :–

चूँकि पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, कोल्हान, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2366 (अनु०) दिनांक–21.02.2017 के द्वारा श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता जिला परिषद्, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल, सं०–03, मानगो, जमशेदपुर के विरूद्ध उपलब्ध कागजात, प्राथमिकी, काण्ड–दैनिकी, पर्यवेक्षण–टिप्पणी तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना काण्ड संख्या–10/15 दिनांक–13.03.2015 धारा 406, 409, 419, 420, एवं 120 (बी०) भा०द०वि० एवं 13 (2) –सह– पठित धारा–13(1) (सी०)(डी०) भ्र०नि०अधि०–1988 के अन्तर्गत आरोप–पत्र का पर्याप्त साक्ष्य है । फलस्वरूप श्री मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 197 द०प्र०सं० तथा भ्र०नि०अधि०–1988 की धारा 19 (1) (बी०) में प्रदत्त शक्तियों के तहत उपयोग करते हुए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये अभियोजन का मामला बनता है।

और चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध को जो इसके द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, जिला परिषद् पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल, सं०–03, मानगो, जमशेदपुर ऐसे लोक सेवक हैं जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए किया है और अब इसलिए राज्य सरकार एतद् द्वारा दण्ड संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दण्ड संहिता (1860 के अधिनियम सं०–45) की धारा 406, 409, 419, 420, एवं 120 (बी०) एवं 13 (2) –सह– पठित धारा–13(1) (सी०)(डी०) भ्र०नि०अधि०–1988 के अधीन अपराध के लिये उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– /राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– /राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2366 (अनु०) दिनांक–21.02.17 के प्रसंग में तथा पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, सोनारी, कोल्हान, जमशेदपुर के पत्रांक–597 दिनांक– 31.12.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 2834 /राँची, दिनांक :– 27-06-17

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०)/अवर सचिव, प्र०–08 (निगरानी) एवं अवर सचिव, प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल ससांधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\Office\Adesh\Ud-3\Manoj Kumar.docx